

राजस्थान विधान सभा
दशम् सत्र
कार्य-सूची
शुक्रवार, दिनांक 23 फरवरी, 2018
बैठक का समय-प्रातः 11.00 बजे

1. प्रश्न

पृथक सूची में प्रविष्ट प्रश्न पूछे जायेंगे एवं उनके उत्तर दिये जायेंगे ।

2. ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम-131 के अन्तर्गत श्री ज्ञानदेव आहूजा, सदस्य, विधान सभा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में कथित रूप से घटिया सामग्री की आपूर्ति किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे ।

3. सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि

वार्षिक प्रतिवेदन

श्री यूनस खान, परिवहन मंत्री सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा-35(2) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम का 53वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-2017 सदन की मेज पर रखेंगे ।

4. समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन

(I) श्री मोहन लाल गुप्ता, सभापति, राजकीय उपक्रम समिति, 2017-2018 समिति के निम्नांकित प्रतिवेदनों का उपस्थापन करेंगे :-

- 1- राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (संख्या-5) वर्ष 2014-2015) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2017-2018 का 105वां प्रतिवेदन ;
- 2- राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) वर्ष 2014-2015) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2017-2018 का 106वां प्रतिवेदन ;
- 3- राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) वर्ष 2014-2015) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2017-2018 का 107वां प्रतिवेदन ;
- 4- राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) वर्ष 2014-2015) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2017-2018 का 108वां प्रतिवेदन ;
- 5- राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम (अंकेक्षण प्रतिवेदन (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) वर्ष 2014-2015) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2017-2018 का 109वां प्रतिवेदन ;

- 6- राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन, प्रसारण निगम लिमिटेड तथा जयपुर, जोधपुर एवं अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) वर्ष 2014-2015) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2017-2018 का 110वां प्रतिवेदन ;
- 7- राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन, प्रसारण निगम लिमिटेड तथा जयपुर, जोधपुर एवं अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) वर्ष 2015-2016) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2017-2018 का 111वां प्रतिवेदन ;
- 8- राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन, प्रसारण निगम लिमिटेड तथा जयपुर, जोधपुर एवं अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 2004-2005) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2011-2012 के 81वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक राजकीय उपक्रम समिति, 2017-2018 का 112वां प्रतिवेदन ;
- 9- राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) वर्ष 2011-2012) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2015-2016 के 35वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिश पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक राजकीय उपक्रम समिति, 2017-2018 का 113वां प्रतिवेदन ;
- 10- राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) वर्ष 2011-2012) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2016-2017 के 74वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिश पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक राजकीय उपक्रम समिति, 2017-2018 का 114वां प्रतिवेदन ;
- 11- राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन, प्रसारण निगम लिमिटेड तथा जयपुर, जोधपुर एवं अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) वर्ष 2012-2013) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2016-2017 के 76वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक राजकीय उपक्रम समिति, 2017-2018 का 115वां प्रतिवेदन ;
- 12- राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन, प्रसारण निगम लिमिटेड तथा जयपुर, जोधपुर एवं अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) वर्ष 2013-2014) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2016-2017 के 77वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक राजकीय उपक्रम समिति, 2017-2018 का 116वां प्रतिवेदन ;

- 13- राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) वर्ष 2013-2014) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2016-2017 के 79वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक राजकीय उपक्रम समिति, 2017-2018 का 117वां प्रतिवेदन ; एवं
- 14- राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) वर्ष 2013-2014) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2016-2017 के 80वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक राजकीय उपक्रम समिति, 2017-2018 का 118वां प्रतिवेदन ।

(II) श्री रामलाल गुर्जर, सभापति, पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति, 2017-2018, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं के सुचारू संचालन, पिछड़े वर्ग के कल्याण हेतु विभाग में पदों की स्थिति, रोस्टर पंजिका का संधारण एवं जांच तथा भर्तियों में आरक्षण की पालना संबंधी पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति, 2017-2018 के पंचम प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे ।

5. याचिका का उपस्थापन

श्री भागीरथ चौधरी, सदस्य, विधान सभा, किशनगढ़ (अजमेर) उपखण्ड मुख्यालय पर खेल सुविधाओं के विकास हेतु नवीन खेल स्टेडियम के निर्माण की स्वीकृति जारी कराने बाबत एक याचिका का उपस्थापन करेंगे ।

6. आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2018-2019

द्वितीय अवस्था

अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान

निम्नांकित अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान होगा :-

<u>क्र.सं.</u>	<u>मांग संख्या</u>	<u>मुख्य शीर्षक</u>
1.	27	- पेयजल योजना
2.	46	- सिंचाई (इंदिरा गांधी नहर परियोजना सहित)

(कटौती प्रस्ताव जो पृथक से वितरित किये जा चुके हैं/रहे हैं, प्रस्तुत किये जायेंगे)

पृथ्वी राज
सचिव

विधान सभा भवन,
जयपुर
दिनांक 22 फरवरी, 2018